118

पर्यटन निदेशालय, उत्तराखण्ड्

पं0 दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट–ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड़,
गढ़ीकैन्ट, देहरादून ।

संख्या– 3435 /2–6–662(4)/2014–15 दिनांक 27 मार्च, 2015

–:कार्यालय आदेश:–

शासनादेश संख्या–531/VI(1) 2015–02(07) 2013, दिनांक 09 मार्च, 2015 एवं संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या–693/ VI(1) 2015–02(07) 2013, दिनांक 25 मार्च, 2015 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद देहरादून के सहस्त्रधारा में पार्किंग का निर्माण, जनपद रूद्रप्रयाग में के रामपुर बस टर्मिनल का निमार्ण एवं देहरादून में मसूरी मार्ग पर किंक्रेग में मल्टीलेवल कार पार्किंग का निर्माण हेतु 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 6225.00 लाख में से मसूरी मार्ग पर किंक्रेग में मल्टीलेवल कार पार्किंग का निर्माण हेतु उक्त पार्किंगं हेतु मोबलाईजेशन एडवान्स के रूप रू0 500.00 लाख(रू0 पांच करोड मात्र) को आहरित करके सम्बन्धित निर्माण इकाई को भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	आगणन की लागत/टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि	वर्ष 2014–15 में आहरित की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
1	देहरादून मसूरी मार्ग पर किंक्रेग में मल्टीलेवल कार पार्किंग का निर्माण	3195.38	500.00	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून।
	योग:–	3195.38	500.00	

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण कर इस निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो उक्त धनराशि को आहरित कर ई–पेमेन्ट/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून" को भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

3– उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी देहरादून के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेगे। साथ ही योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक इस कार्यालय को शासन को एवं क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी देहरादून को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेगें।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के हेतु पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

5-- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6-- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7-- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8-- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्यक करा लिया जाये तथा विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

9-- विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10-- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य) स्थिति की दशा में ही करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

11-- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2015 तक अवश्य कर लिया जाय।

12-- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

13-- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली -2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही स्वीकृत धनरशि के सापेक्ष अधिप्राप्ति निमयमावली-2008 के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री पर होने वाले व्यय के उपरान्त अवशेष धनराशि राजकोष में जमा कराकर प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

14-- कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की चेकिंग का कार्य उक्त अनुमोदित लागत से कराये जाने के बाद कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार होने की पुष्टि पर ही भुगतान किया जायेगा। अतः निर्माण इकाई Third Party Monitering की व्यवस्था करेंगे।

15-- स्वीकृत की जा रही योजना के सापेक्ष निर्माण कार्य 01 वर्ष के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। इससे सम्बन्धित एव MOU विभाग एवं कार्यदायी संस्था के मध्यम किया जायेगा।

16-- धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा।

17-- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-571/XXVII(1)/2010 दिनांक 19-10-2010 का अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

19-- उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3452--पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-104- सम्बर्धन तथा प्रचार- 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र वित्त पोषित योजनायें-02-13वें वित्त आयोग की सस्तुतियों के अन्तर्गत पर्यटन का विकास-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के मानक मद में डाला जायेगा।

(डा0 उमाकान्त पंवार)
निदेशक पर्यटन, उत्तराखण्ड।

पृ0प0संख्या– 3435 /(1)/2014–15, समदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– सचिव पर्यटन /अपर सचिव पर्यटन,, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
6– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7– मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग देहरादून।
8– अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून।
9– आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
10– क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी देहरादून।
11– लोक सूचना अधिकारी, पर्यटन निदेशालय, देहरादून।
12– एन0आई0सी0 को बेवसाइड हेतु
13– सम्बन्धित फाईल हेतु ।
14– गार्ड फाइल ।

(शैलेन्द्र शंकर सिंह)
निदेशक वित्त